कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोण्डा

दिनांक : 20/7/15

पत्रांक - 1240/1A

सेवा में

जिलाधिकारी
गोण्डा ।

विषय : जनपद-गोण्डा में बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग सं0-30) के किमी0-59 पर (चैनेज 58.600) के मध्य रेखा से बायीं तरफ ग्राम-खिरौरा मोहन, तहसील गोण्डा जनपद-गोण्डा के गाटा नं0 36 में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका पत्र सं0-193/20-जे0ए0 (अनापत्ति प्रमाण पत्र)/15 दिनांक 25.06.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण सम्बन्धी तथ्यात्मक टिप्पणी एवं संस्तुति के आधार पर जनपद-गोण्डा में बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग सं0-30) के किमी0-59 पर (चैनेज 58.600) के मध्य रेखा से बायीं तरफ ग्राम-खिरौरा मोहन, तहसील गोण्डा जनपद-गोण्डा के गाटा नं0 36 में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. जनपद-गोण्डा में बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग सं0-30) के किमी0-59 पर (चैनेज 58.600) के मध्य रेखा से बायीं तरफ पेट्रोल पम्प निर्माण एवं अन्य किसी प्रकार का अतिक्रमण, उक्त मार्ग की मध्य रेखा से 22.86 मी0 (75 फीट) की दूरी तक की भूमि पर नहीं किया जायेगा।
2. प्रस्तावित निर्माण तक पहुँच मार्ग एवं सड़क के पानी की निकासी हेतु चौकोर नाली एवं एक मीटर स्पान की पुलिया का निर्माण स्वामी को अन्य निर्माण करने से पूर्व अपने व्यय पर करना होगा। [illegible]
3. प्रस्तावित निर्माण का कुर्सी तल, मार्ग की सतह से 30 से0मी0 नीचा रखा जायेगा।
4. निर्माण स्थल के सामने मुख्य मार्ग के बीच में बची हुई भूमि पर कोई कम्पनी आदि का वोर्ड एवं लाइट आदि के पोल नहीं लगाये जायेंगे। मार्ग की मध्य रेखा से 18.30 मीटर तक, कोई भी स्थाई/अस्थाई निर्माण (घास आदि लगाने का कार्य) न कराया जाय।
5. निर्माण स्थल के पानी का बहाव, मार्ग की दिशा में नहीं होगा।
6. प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रस्तावित मेसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के अनुरूप ही कराया जाय तथा आई0आर0सी0 पब्लिकेशन का पूर्णरूप से पालन किया जाय।
7. भू-स्वामित्व की जिम्मेदारी, लो0नि0वि0 पर नहीं होगी। भू-स्वामित्व का परीक्षण एवं सत्यापन, सम्बन्धित राजस्व विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करेगा। भू-स्वामित्व होने पर ही स्थल मानचित्र एवं निर्माण कार्य वैध माना जायेगा।
8. लोक निर्माण विभाग की सरकारी भूमि, जो रिटेल आउट लेट के पहुँच मार्ग के रूप में उपयोग होगी, उसे सदैव सही दशा में रखने तथा इसका स्वामित्व सदैव उत्तर प्रदेश सरकार का ही रहने सम्बन्धी लीज एग्रीमेन्ट, भू-स्वामी को निर्धारित प्रारूप में करना होगा।
9. उपरोक्त शर्तो के आधार पर निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही, स्वामी द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य करने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा।
10. एक वर्ष तक प्रस्तावित निर्माण कार्य न होने पर, पेट्रोल पम्प स्वामी को पुनः अनुमति लेनी होगी।
11. इन एवं इक्जिट हेतु, इस प्रकार साइन बोर्ड लगाया जाए ताकि वाहनों को स्पष्ट दिखाई दे।
12. आउटलेट खुला कृषि क्षेत्र में स्थापित होना है।
13. उपरोक्त सभी अथवा एक भी निर्देश एवं एम0ओ0एस0टी0 के डाकूमेन्टस का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और विभाग किसी भी प्रकार की हानि आदि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा तथा विभाग के विरुद्ध कुछ भी क्लेम नहीं किया जा सकता है।

उक्त टिप्पणी के साथ प्राप्त नक्शा वापस किया जाता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार मानचित्र 1 नं0

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,गोण्डा

पत्रांक - 1240/1A दिनांक : 20/7/15

प्रतिलिपिः सहायक ~~अभियन्ता, चतुर्थ,~~ प्रा0ख0, लो0नि0वि0, गोण्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

[illegible] प्रति

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,गोण्डा

General Latters _2012-131464